न्यायालय जिला कलेक्टर,जालोर

पीठासीन अधिकारी — **श्री बी.एल.कोठारी**
आई.ए.एस

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मैसर्स शेरसिंह पुत्र श्री धनसिंहजी जाति राजपूत उचित मूल्य दुकानदार मु.पो.जैरण तहसील भीनमाल		राजस्थान सरकार जिला रसद अधिकारी जालोर

प्रकरण अपील संख्या 26/2017

अपील अर्न्तगत धारा 22 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियमन आदेश 1976

.....

पक्षकारान :-
1-श्री चुन्नीलाल अभिभाषक अपीलान्ट।
2-श्री पुष्पराज पालीवाल, प्रर्वतन अधिकारी

निर्णय

दिनांक:- 12.02.2018

1. अपीलान्ट के वकील द्वारा यह अपील जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रकरण संख्या 81/2017 अनवान सरकार बनाम शेरसिंह पुत्र धनसिंह उचित मूल्य दुकानदार जैरण में दिनांक 30.10.2017 को पारित आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की है।

2. अपीलांट के वकील द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर अपील को subject to limitation दर्ज रजिस्टर किया जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिए सम्मन सूचित किया गया। अपीलाधीन आदेश से संबंधित पत्रावली तलब की गई। जो प्राप्त होने पर प्रकरण में संबंधित पक्षो की बहस सुनी गई।

3. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है-अपीलांट को नियंत्रित वस्तुओं का आम जनता को सुलभ करवाने हेतु प्राधिकार पत्र जिला रसद अधिकारी द्वारा जारी किया गया है। लम्बे समय से ग्राम जैरण मे उचित मुल्य दुकान का संचालन करता है। अपीलांट लम्बे समय से उचित मुल्य दुकान चला रहा है तथा गांव की ओर से या ग्राम पंचायत की और से आज तक किसी भी प्रकार की शिकायत नही रही है। दिनांक 09.08.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल द्वारा जिला रसद अधिकारी जालोर को पत्र भेजकर आरोप लगाया कि अपीलांट मासिक परिपत्र ''अ'' एवं माह सितम्बर 2016 से जुलाई 2017 के आवक वितरण का अंकेक्षण प्रस्तुत नहीं किया है। जिसके कारण स्टाक की गणना में बाधा उत्पन्न हुई तथा सूचना पेश करने में देरी की गई व आरोप लगाया की पिछले कई माह से नियमित वितरण नहीं किया जा रहा है तथा ग्रामीणो द्वारा मौखिक शिकायते भी की जा रही है तथा मासिक बैठको में भी उपस्थित नही हो रहे है। जिला रसद अधिकारी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया गया तथा पत्रावली दिनांक 15.09.2016 को पेश होने के आदेश दिये गये। अपीलांट के विरूद्ध यह आरोप लगाया कि प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 6 व 11 का उल्लंघन किया गया है। रसद कार्यालय जालोर द्वारा दिनांक 11.08.2017 को बिना किसी आधार केवल मात्र प्रवर्तन निरीक्षक भीनमाल की रिपोर्ट पर शेरसिंह का प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया तथा अरणू गांव के उचित मुल्य दुकानदार को अतिरिक्त वैकल्पिक व्यवस्था दी गई। अपीलांट को किसी प्रकार का नोटिस न देकर बिना तामील करवाकर दिनांक 30.10.2017 को अपीलांट की अनुपस्थिति बताकर अपीलांट का प्राधिकार पत्र किया गया।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक द्वारा व्यक्त किया गया कि जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा गलत रूप से आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को कोई नोटिस नहीं दिया गया है।दिनांक 17.10.2017 को जिला रसद अधिकारी जालोर अवकाश पर थे तो तलबी का आदेश नही दिया जा सकता। न्यायालय द्वारा तलबी का आदेश देने के बावजूद भी दिनांक 30.10.2016को एक तरफा आदेश दिया गया है। अपीलांट को नोटिस की तामील नहीं हुई तथा अपीलांट की गैर मौजूदगी में बिना जवाब पेश किये एक तरफा गलत रूप से आदेश दिया गया है। रेस्पोडेन्ट जिला रसद अधिकारी द्वारा ग्राम जैरण की व्यवस्था ग्राम अरणू को सुपुर्द कियायह भी गलत है। दिनांक 30.10. 2017 को प्रतिभूति राशि जब्त कर प्राधिकार पत्र प्रभाव से नष्ट किया है। जिला रसद अधिकारी जालोर द्वारा प्रवर्तन अधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर गलत रूप से प्राधिकार

पत्र निरस्त किया है। ग्राम जैरण की ओर से कोई शिकायत नही थी तथा बिना शिकायत प्राधिकार पत्र निरस्त करने में कानूनी रूप से गलत कार्यवाही की गई है। अपीलांट को बिना सबूत पेश किये राजस्थान खाद्य एवं अन्य आवश्यक वस्तु का विनियमन आदेश 1976 के शर्त संख्या 11 का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है। अपीलांट नियमित रूप से कार्यवाही में भाग ले रहा है तथा नियमित रूप से मासिक परिपत्र-अ सितम्बर 2016 से जुलाई 2017 तक अंकेक्षण हेतु पेश किया था परन्तु प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा जांच नही की गई। डीलर की मीटिग में हमेशा से मासिक बैठको में उपस्थित होता रहा है। जिला रसद अधिकारी द्वारा गलत रूप से कार्यवाही की है जब नोटिस तामिल ही नही हुआ है तो सबूत कैसे पेश करता है।

दिनांक 30.10.2017 को पारित आदेश की दिनांक 21.11.2017 को नकल हेतु पेश करने पर दिनांक 28.11.2017 को नकले प्राप्त हुई है। फैसले की तारीख से व नकल मिलने के दिनो को बाद करने के बाद अपील अन्दर म्याद है।अत: अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त कर प्राधिकार पत्र जो निरस्त किया गया है उसे पुन: अपीलांट के नाम जारी किया जावे।

4. प्रर्वतन अधिकारी ने बहस में व्यक्त किया कि अपीलांट डीलर द्वारा वक्त जांच मासिक प्रपत्र ''अ'' एवं माह सितम्बर 2016 से जुलाई 2017 तक के आवक वितरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन पेश नहीं करना व वक्त जांच डीलर द्वारा नियमित रूप से वितरण नही करना पाया गया एवं मासिक बैठको में भी डीलर उपस्थित नहीं होने से अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अपीलांट को सुनवाई हेतु दिनांक 06.09.2017 को कारण बताओ नोटिस व दिनांक 06.10.2017 व 24.10.2017 को नोटिस तारीख पेशी का जरिये डाक से भिजवाए गए थे। लेकिन अपीलांट उपस्थित नही होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जो विधीवत होने से अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

5. बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया।बाद सुनवाई के अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अधीस्थ न्यायालय द्वारा उक्त प्रकरण डीलर द्वारा अनियमितता बरतने पर दर्ज कर अपीलांट को सुनवाई हेतु दिनांक 06.09.2017 को कारण बताओ नोटिस व दिनांक 06.10.2017 व 24.10.2017 को नोटिस तारीख पेशी जारी किया गया। अपीलांट उपस्थित नहीं होने पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। डीलर द्वारा वक्त जांच मासिक प्रपत्र ''अ'' एवं माह सितम्बर 2016 से जुलाई, 2017 तक क आवक वितरण का अंकेक्षण प्रतिवेदन पेश नहीं करना व वक्त जांच डीलर द्वारा नियमित रूप से वितरण नहीं करने एवं मासिक बैठको में भी डीलर उपस्थित नही होने से राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वस्तु का विनियमन आदेश 1976 के अर्न्तगत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त का उल्लंघन होने के कारण अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो विधीवत है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश में कोई अनियमितता होना नहीं पाए जाने से किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अत: उपर्युक्त विवेचन अनुसार अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील भी अस्वीकार की जाती है तथा जिला रसद अधिकारी जालोर के अपीलाधीन आदेश को यथावत रखा जाता है।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर

निर्णय दिनांक 12.02.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बी.एल.कोठारी)
जिला कलेक्टर
जालोर